THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) Government have decided to streamline the Public Distribution System with focus on poor and has asked the State Govenrments/UT Administrations to identify the pupulation below poverty line and make necessary arrangements for issuing ration cards, delivery of foodgrains at Fair Price Shops for distribution to the poor in a transparent and accurate manner, Actual* issue of foodgrains to the States/UTs at specially subsidised prices to the population b slow poverty line will be made when the States/UTs have identified the below poverty line population and made satisfactory arrangements for issue of foodgrains to them.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतगर्त नई योजना

123. **श्री रामजेठमलापी** :क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम गेहूं या चावल सस्ती दरों पर प्रदान करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नई योजना आरंभ करने का निर्णय किया हैं:

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और देश के किन-किन राज्यों में यह योजना पहले से आरंभ की जा चुकी हैं, और

(ग) क्या अनेक राज्यों ने इस योजना के क्रियान्वयन में अपनी अक्षमता प्रकट की हैं, यदि हां, तो उन्होने यह अक्षमता किस आधार पर प्रकट की हैं?

खाघ मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सार्वजानिक वितरण प्रणाली को गरीबी पर केन्द्रित करते हुए सुप्रवाही बनाने की योजना को मंजूरी दे दी हैं,िजसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को केन्द्रीय निगम मूल्यों से लगभग आधे मूल्यों पर प्रति माह प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. खाघान्न मुहैया कराने की इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :-

(I) गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार केन्द्रीय निगम मूल्यों से लगभग आधे मूल्य प्रति परिवार प्रति माह 10 कि.ग्रा. सरकार को दिया जाएगा।

(II) गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को पता लगाने का कार्य स्व. प्रो. लाकडावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बनाने के तरीके का अपनाकर 1993-94 के लिए आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी लगाए गए अस्थायी अनुमानों के आध राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों किया जाएगा।

(III) तथापि, गरीबी से इतर लोगो को केन्द्रिय निगम मूल्य पर पिछले 10 साल के दौरान राज्यों द्वारा किए गए क्योकि वार्षिक उठाने के आधार पर खाघान्न दिया जाना जारी किया जाएगा।

(IV) राज्य सरकारों को गरीबों का स------ पता लगाने पारदर्शी और सही तरीको से ----- में वितरित करने के वास्ते उचित दर दुकान ----- खाघान्नों की सुपुर्दगी करने के लिए सभी सुनिश्चित करनें होंगे।

(V) सुनिश्चित रोजगार योजना/: ----- रोजगार योजना के तहत सभी लाभार्थियों 1 कि.ग्रा. प्रति मानव दिवस की दर से राजसहायता प्राप्त खाघान्न जारी किए जाने

राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से पता लगाने और उन्हें विशेष कार्ड जारी करना सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने को कहा गया हैं। राज्य सरकार-संध राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अभी तक इस प्रक्रिया के पूरा होने के संबंध में सूचना नहीं दी।

(ग़)किसी राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभी तक इस स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में कोई असमर्थता व्यक्त नहीं की हैं।